Seventeenth Loksabha

an>

Title: Re-development of BDD Chawls in Mumbai.

श्री अरविंद सावंत (मुम्बई दक्षिण) : आदरणीय सभापति महोदय, आप जानते हैं कि मैं पिछले पांच-छः सालों से एक विषय को लेकर बहुत व्यथित हूं और उसको बार-बार यहां पर रखता हूं। महोदय, महाराष्ट्र में जो बीडीडी चॉल्स हैं, उनके तीन-चार कॉम्पलेक्स हैं। ये नायगांव, वर्ली, एनएम जोशी मार्ग और शिवडी में हैं। राज्य सरकार ने उनके पुनर्विकास करने के बारे में तय किया है और पुनर्विकास का काम भी शुरू हो गया है, लेकिन जो शिवडी वाला क्लस्टर है, बाकी के जो तीनों क्लस्टर्स हैं, उसकी जमीन राज्य सरकार की है। जो चौथा अर्थात् शिवडी वाला क्लस्टर है, वह केन्द्र सरकार के मुंबई पोर्ट ट्रस्ट की जमीन पर है। उसने आज तक अनुमति नहीं दी है। वहां पर करीब 960 लोगों के मकान हैं। उसमें 16 बिल्डिंग्स हैं। राज्य सरकार ने तय किया है कि उन बिल्डिंग्स का पुनर्विकास किया जाएगा और पैसा भी वही देगी। इनको मुफ्त में घर मिलने वाले हैं, वह भी 600 स्क्वॉयर फीट के घर मिलने वाले हैं। ऐसी स्थिति में आज भी केन्द्र सरकार निर्णय नहीं ले रही है। इसे अब कोई भी नहीं कर सकता है इसलिए मैं आपके माध्यम से आदरणीय प्रधान मंत्री जी से निवेदन करता हूँ कि इनको वंचित क्यों किया जा रहा है? केन्द्र सरकार के लिए एक उपलब्धि और है। वहां पर मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक नाम से एक रास्ता जा रहा है, नवी मुम्बई में जो नया हवाईअड्डा बनने जा रहा है, उसके लिए वहीं से रास्ता जा रहा है। उसी शिवडी बिल्डिंग के ऊपर से जा रहा है। इसलिए कल को उस जमीन पर मकान तो तोड़ने ही होंगे। जमीन मुम्बई पोर्ट ट्रस्ट की है। मुम्बई पोर्ट ट्रस्ट ने ट्रांस हार्बर लिंक के लिए अनुमति दे दी है, लेकिन इन बिल्डिंगों के लिए अनुमति नहीं दे रही है। इसलिए मैं आपके माध्यम से प्रधान मंत्री जी से प्रार्थना करता हूँ कि वे खुद इस विषय पर ध्यान दें। यह कोई अनधिकृत निवास नहीं है। यह अधिकृत निवास है। यह कोई झुग्गी-झोपड़ियों का विषय नहीं है। वह अलग विषय है। मैं उसके ऊपर भी कभी बोलूंगा, लेकिन आज अधिकृत होने के बावजूद भी ये मकान

पुराने हैं और कभी भी ढह सकते हैं। अगर आज आप वहां बिल्डिंग में जाएंगे तो आपको हर टॉयलेट में लिकेज मिलेगा। ऐसी स्थिति में वहां कॉमन टॉयलेट्स हैं। मैं आपके माध्यम से प्रार्थना करता हूँ कि आदरणीय प्रधान मंत्री जी स्वयं इस विषय पर ध्यान देकर शिवडी के बीडीडी चॉल के पुनर्वास के लिए जल्दी से जल्दी अनुमति दें, ताकि राज्य सरकार उसका काम शुरू कर सके।

माननीय सभापति: श्री ई. टी. मोहम्मद बशीर, उपस्थित नहीं।

श्री हिबी इडन, उपस्थित नहीं।

श्री सुभाष चन्द्र बहेड़िया, उपस्थित नहीं।

श्री राहुल रमेश शेवाले.